निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 कार्तिक 1937 (श0)
(सं0 पटना 1236) पटना, मंगलवार, 27 अक्तूबर 2015

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचनाएं
22 अक्तूबर 2015

जी0एस0आर0 07, दिनांक 27 अक्तूबर 2015—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2015 प्रकाशित द्वारा का0 आ0 संख्या– 2642(अ) दिनांक 28 सितम्बर, 2015 एवं विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2015 प्रकाशित द्वारा का0 आ0–2857(अ) दिनांक 18 अक्टूबर, 2015 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियिम, 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा–3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल दाल–दलहन के अनुज्ञापन, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन के संबंध में निम्नलिखित आदेश करते है :–

(1) बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र एकीकरण) आदेश 1984 के साथ पठित विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 6570 दिनांक 18.12.2009 द्वारा दाल एवं दलहन के सम्बन्ध में निर्गत आदेश इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2016 तक लागू रहेगा।

(2) एतद्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

(3) यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

[सं0 प्र04/आ–01/09(खंड–iii)–8343]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
एल0 पी0 सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 22nd October 2015

G.S.R. 07, dated the 27th October 2015— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the Removal of (Licensing Requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order,2011, the Removal of (Licensing Requirements, Stock limits

and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order,2002, the Removal of (Licensing Requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Second Amendment) Order,2015 published through S.O. 2642 (E) dated 28.09.2015 and the Removal of (Licensing Requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order,2015 published through S.O. 2857 (E) dated 18.10.2015, all of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), Government of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following order regarding licensing, stock limits and movement restriction of pulses :-

(1) The Order made regarding pulses by the department's notification no. 6570 dated 18.12.2009 read with the Bihar Trade Articles (Unification of Licenses) Order, 1984 shall remain in force till 30 September, 2016 from the date of issuance of this Order.

(2) Previously issued corresponding notifications/orders shall be deemed to be amended to this extent.

(3) This Order shall come into force from the date of its notification.

[No. Pra-04-aa-01/09 (Part-iii)—8343]

By order of the Governor of Bihar,

L. P. SINGH,

Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1236-571+100-डी०टी०पी०।

Website: http://egazette.bih.nic.in